दिनांक- 03.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 659/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 03.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 03.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 660/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी – थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना श्रीनगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थानाध्यक्ष श्रीनगर के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, जनपद महोबा से संबंधित वारण्टी अभियुक्त कमलेश पुत्र बत्ती यादव, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम बिलखी थाना श्रीनगर जनपद महोबा को ग्राम बिलखी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मु0अ0सं0 127/2015, धारा 279/337/338 भादवि, केस नं0 2245/2020 से संबंधित है। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण-

कमलेश पुत्र बत्ती यादव, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम बिलखी थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित, थाना श्रीनगर जनपद महोबा

दिनांक- 03.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 661/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ – थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीम उ0नि0 सुधीर कुमार मय हमराह उ0नि0 कमल सिंह द्वारा माननीय न्यायालय महोबा से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी सुशील खेवरिया पुत्र भानुप्रताप, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम लोधीपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के रूप में हुई है, जो मु0अ0सं0 1064/2009, धारा 147/149/353/504/506 भा0द0वि0 से संबंधित है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

- सुशील खेवरिया पुत्र भानुप्रताप, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम लोधीपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुधीर कुमार, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
2. उ0नि0 कमल सिंह, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

दिनांक- 03.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 662/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी के 2510 रुपये नगद बरामद।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में गठित टीम के उ0नि0 अंकित सिंह चौहान मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 75/2026 धारा 305(ए)/352/351(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त फिरोज मोहम्मद पुत्र इस्लाम मोहम्मद, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम गिरवल थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को आज दिनांक 03.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 2510 रुपये नगद बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

फिरोज मोहम्मद पुत्र इस्लाम मोहम्मद, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम गिरवल थाना मझगवां जनपद हमीरपुर।

बरामदगी-

2510 रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अंकित सिंह चौहान, थाना कोतवाली नगर महोबा।
2. का0 उमेश कुमार, थाना कोतवाली नगर महोबा।

दिनांक- 03.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 663/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ – थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
- प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा के नेतृत्व में उ0नि0 अजय प्रताप सिंह, रि0का0 कौशिक सिंह एवं रि0का0 श्रीकान्त पटेल द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम धवार मोड़ से थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 129/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान वसीम पुत्र नईम, उम्र 23 वर्ष, निवासी मेन बाजार कस्बा व थाना पनवाड़ी तथा सतीश खटीक पुत्र सीताराम, उम्र 22 वर्ष, निवासी मोहल्ला बजनापुर कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के रूप में हुई है।
- अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का एक अदद जिन्दा काले रंग का बकरा तथा घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या UP 95 Y 4363 बरामद किया गया। बरामद बकरा जीवित होने के कारण जीवन रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम प्रधान दिदवारा श्री रवि पटेल को सुपुर्द किया गया।
- बरामद वाहन को धारा 207 एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत मु0सि0सि0 नं0 3710/2026 में सीज किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. वसीम पुत्र नईम, उम्र 23 वर्ष, निवासी मेन बाजार कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
2. सतीश खटीक पुत्र सीताराम, उम्र 22 वर्ष, निवासी मोहल्ला बजनापुर कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

बरामदगी-

- चोरी का एक अदद जिन्दा काला बकरा
- घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या UP 95 Y 4363

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
2. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
3. रि0का0 कौशिक सिंह
4. रि0का0 श्रीकान्त पटेल